संख्या-48/2023/228/001-100-ब-2021टीसी

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 21 अप्रैल, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष-2023-24 के लिए वचनबद्ध/आवश्यक व्यय वहन किये जाने हेतु धनराशि निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-11593/बजट 2023-24, दिनांक 06-04-2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष-2023-24 में गृह विभाग (कारागार) के अनुदान संख्या-25 के राजस्व लेखाशीर्षक-2056 के अन्तर्गत लघुशीर्ष 001-03-निदेशन तथा प्रशासन के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि रू0 4558.74 लाख के सापेक्ष रू0 4558.74 लाख, लघुशीर्ष101-03-समस्त कारागार के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि रू0 123955.51 लाख के सापेक्ष रू0 123955.51 लाख, लघुशीर्ष 102-03-जेल उत्पाद के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि रू0 812.00 लाख के सापेक्ष रू0 812.00 लाख, लघुशीर्ष 800-03-कारागार प्रशिक्षण संस्थान के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि रू0 523.46 लाख के सापेक्ष रू0 523.46 लाख अर्थात कुल **धनराशि रू0 129849.71 लाख (रुपये बारह अरब अट्ठानबे करोड़ उनचास लाख इकहत्तर हजार मात्र)** की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं।

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) जिन प्रकरणों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार / केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2) स्वीकृत धनराशि का आवंटन एवं आवंटित विस्तृत धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या- बी-1-1195 दस-1694, दिनांक- 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित करते हुये अधीनस्थ कार्यालयों को मासिक उपयोग के आधार पर धनराशि आवंटित की जाय, ताकि उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-8 के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाना सम्भव हो सके।

(3) आवंटन आदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 को आवश्यक रूप से पृष्ठांकित किये जायं। विशेष परिस्थिति में यदि अधिक धनराशि के आवंटन की आवश्यकता है तो समुचित कारण बताते हुये शासन की अनुमति प्राप्त करके धनराशि का आवंटन किया जाय।

(4) मानक मद 43-सामग्री सम्पूर्ति में उपलब्ध बजट प्राविधान इस निर्देश के साथ आपके निवर्तन पर रखा जा रहा है कि कोई भी क्रय समय-समय पर वित्त विभाग तथा उद्योग विभाग के द्वारा निर्गत शासनादेशों में निहित निर्देशों का अनुपालन करते हुये ही किया जायेगा। किसी भी दशा में नियमों का किसी स्तर पर उल्लंघन न किया जाय।

(5) शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) उक्त के अतिरिक्त यह सुनिश्चित किया जाय कि व्यय सम्बन्धी स्थाई वित्तीय नियम तथा समय-समय पर जारी आदेश/निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनश्चित करते हुए सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बाद ही धनराशि का व्यय किया जाय और वित (आय-व्ययक) अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-03-2023 जो आपको भी पृष्ठांकित है, में प्रदत निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7) वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-7/2018/ए-1-08ए.जी./दस-2018-10(50)/2011, दिनांक- 14 मार्च, 2018 द्वारा राज्य की संचित निधि से धनराशि आहरित कर पी.एल.ए. में रखे जाने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। डिपाजिट कार्यों के लिये प्राप्त धनराशियाँ सम्बन्धित कार्यदायी विभागों द्वारा रेमिटेन्स लेखाशीर्षक '8782' में जमा कर वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय जाप संख्या-ए-2-47/दस-97-10(9)/95, दिनांक-03 मार्च, 1997 में दिये गये निर्देशों के अनुसार डिपाजिट क्रेडिट लिमिट (डी.सी.एल.) निर्गत करके व्यय की जायेगी।

(8) कोषागारों में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों में 15 डिजिट कोड सहित लेखाशीर्षक, भारित और अनुदान संख्या का उल्लेख किया जायेगा।

(9) बजट मैनुअल के पैरा-88 के अनुसार महानिरीक्षक कारागार इस बात के लिए उत्तरदायी होंगे कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के अन्तर्गत रखा जाय।

(10) वर्तमान में प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव हेतु आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के कारण अनुदान संख्या-25 के राजस्व लेखाशीर्षक-2056 का कोई मद यदि आदर्श आचार संहिता से आच्छादित है तो उस मद की धनराशि का आहरण कदापि न किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2056000010300 (मुख्य--)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	025	2056000010300 मुख्य--	01 वेतन	13,52,58,000 (रुपये तेरह करोड़ बावन लाख अट्ठावन हजार मात्र)
2	025	2056000010300 मुख्य--	03 मंहगाई भत्ता	6,08,66,000 (रुपये छह करोड़ आठ लाख छियासठ हजार मात्र)
3	025	2056000010300 मुख्य--	04 यात्रा व्यय	6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र)
4	025	2056000010300 मुख्य--	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
5	025	2056000010300 मुख्य--	06 अन्य भत्ते	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)
6	025	2056000010300 मुख्य--	07 मानदेय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
7	025	2056000010300 मुख्य--	08 कार्यालय व्यय	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
8	025	2056000010300 मुख्य--	09 विद्युत देय	90,00,000 (रुपये नव्वे लाख मात्र)
9	025	2056000010300 मुख्य--	10 जलकर / जल प्रभार	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
10	025	2056000010300 मुख्य--	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	15,00,000 (रुपये पंद्रह लाख मात्र)
11	025	2056000010300	12	10,00,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		मुख्य--	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	(रुपये दस लाख मात्र)
12	025	2056000010300 मुख्य--	13 टेलीफोन पर व्यय	15,00,000 (रुपये पंद्रह लाख मात्र)
13	025	2056000010300 मुख्य--	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	75,00,000 (रुपये पचहत्तर लाख मात्र)
14	025	2056000010300 मुख्य--	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
15	025	2056000010300 मुख्य--	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
16	025	2056000010300 मुख्य--	22 आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
17	025	2056000010300 मुख्य--	23 गुप्त सेवा व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
18	025	2056000010300 मुख्य--	29 अनुरक्षण	15,00,000 (रुपये पंद्रह लाख मात्र)
19	025	2056000010300 मुख्य--	42 अन्य व्यय	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
20	025	2056000010300 मुख्य--	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	20,93,00,000 (रुपये बीस करोड़ तिरानवे लाख मात्र)
21	025	2056000010300 मुख्य--	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)
22	025	2056000010300 मुख्य--	45 अवकाश यात्रा व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
23	025	2056000010300 मुख्य--	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	14,00,000 (रुपये चौदह लाख मात्र)
24	025	2056000010300 मुख्य--	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
25	025	2056000010300 मुख्य--	49 चिकित्सा व्यय	40,00,000 (रुपये चालीस लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

26	025	2056000010300 मुख्य--	51 वर्दी व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
27	025	2056000010300 मुख्य--	55 मकान किराया भत्ता	1,35,00,000 (रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख मात्र)
28	025	2056000010300 मुख्य--	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
	कुल			**45,58,74,000** **(रुपये पैंतालीस करोड़ अट्ठावन लाख चौहत्तर हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2056001010300 (समस्त कारागार)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	025	2056001010300 समस्त कारागार	01 वेतन	5,17,60,59,000 (रुपये पांच अरब सत्रह करोड़ साठ लाख उनसठ हजार मात्र)
2	025	2056001010300 समस्त कारागार	02 मजदूरी	58,40,00,000 (रुपये अट्ठावन करोड़ चालीस लाख मात्र)
3	025	2056001010300 समस्त कारागार	03 मंहगाई भत्ता	2,32,92,27,000 (रुपये दो अरब बत्तीस करोड़ बयान्वे लाख सत्ताईस हजार मात्र)
4	025	2056001010300 समस्त कारागार	04 यात्रा व्यय	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
5	025	2056001010300 समस्त कारागार	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
6	025	2056001010300 समस्त कारागार	06 अन्य भत्ते	75,00,000 (रुपये पचहत्तर लाख मात्र)
7	025	2056001010300 समस्त कारागार	07 मानदेय	65,000 (रुपये पैंसठ हजार मात्र)
8	025	2056001010300 समस्त कारागार	08 कार्यालय व्यय	15,00,000 (रुपये पंद्रह लाख मात्र)
9	025	2056001010300 समस्त कारागार	09 विद्युत देय	66,00,00,000 (रुपये छियासठ करोड़ मात्र)
10	025	2056001010300 समस्त कारागार	10 जलकर / जल प्रभार	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
11	025	2056001010300 समस्त कारागार	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

12	025	2056001010300 समस्त कारागार	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
13	025	2056001010300 समस्त कारागार	13 टेलीफोन पर व्यय	3,00,00,000 (रुपये तीन करोड़ मात्र)
14	025	2056001010300 समस्त कारागार	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1,20,00,000 (रुपये एक करोड़ बीस लाख मात्र)
15	025	2056001010300 समस्त कारागार	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
16	025	2056001010300 समस्त कारागार	29 अनुरक्षण	15,00,00,000 (रुपये पंद्रह करोड़ मात्र)
17	025	2056001010300 समस्त कारागार	39 औषधि तथा रसायन	20,00,00,000 (रुपये बीस करोड़ मात्र)
18	025	2056001010300 समस्त कारागार	40 औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा	75,00,000 (रुपये पचहत्तर लाख मात्र)
19	025	2056001010300 समस्त कारागार	41 भोजन व्यय	2,80,00,00,000 (रुपये दो अरब अस्सी करोड़ मात्र)
20	025	2056001010300 समस्त कारागार	42 अन्य व्यय	20,00,00,000 (रुपये बीस करोड़ मात्र)
21	025	2056001010300 समस्त कारागार	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	15,00,000 (रुपये पंद्रह लाख मात्र)
22	025	2056001010300 समस्त कारागार	45 अवकाश यात्रा व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
23	025	2056001010300 समस्त कारागार	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	35,00,000 (रुपये पैंतीस लाख मात्र)
24	025	2056001010300 समस्त कारागार	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
25	025	2056001010300 समस्त कारागार	49 चिकित्सा व्यय	6,00,00,000 (रुपये छह करोड़ मात्र)
26	025	2056001010300 समस्त कारागार	51 वर्दी व्यय	2,50,00,000 (रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र)
27	025	2056001010300 समस्त कारागार	55 मकान किराया भत्ता	10,00,00,000 (रुपये दस करोड़ मात्र)
28	025	2056001010300	57	1,60,00,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		समस्त कारागार	प्रैक्टिस बन्दी भत्ता	(रुपये एक करोड़ साठ लाख मात्र)
29	025	2056001010300 समस्त कारागार	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	60,00,000 (रुपये साठ लाख मात्र)
	कुल			**12,39,55,51,000** **(रुपये बारह अरब उनतालीस करोड़ पचपन लाख इक्यावन हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2056001020300 (समस्त कारागार)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	025	2056001020300 समस्त कारागार	02 मजदूरी	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
2	025	2056001020300 समस्त कारागार	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
3	025	2056001020300 समस्त कारागार	42 अन्य व्यय	7,00,000 (रुपये सात लाख मात्र)
4	025	2056001020300 समस्त कारागार	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	7,00,00,000 (रुपये सात करोड़ मात्र)
	कुल			**8,12,00,000** **(रुपये आठ करोड़ बारह लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2056008000300 (कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	025	2056008000300 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--	01 वेतन	2,78,10,000 (रुपये दो करोड़ अठहत्तर लाख दस हजार मात्र)
2	025	2056008000300 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--	02 मजदूरी	9,00,000 (रुपये नौ लाख मात्र)
3	025	2056008000300 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--	03 मंहगाई भत्ता	1,25,15,000 (रुपये एक करोड़ पच्चीस लाख पंद्रह हजार मात्र)
4	025	2056008000300 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--	04 यात्रा व्यय	30,000 (रुपये तीस हजार मात्र)
5	025	2056008000300	05	40,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	(रुपये चालीस हजार मात्र)
6	025	2056008000300 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--	06 अन्य भत्ते	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
7	025	2056008000300 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--	08 कार्यालय व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
8	025	2056008000300 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--	09 विद्युत देय	35,00,000 (रुपये पैंतीस लाख मात्र)
9	025	2056008000300 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--	10 जलकर / जल प्रभार	5,000 (रुपये पांच हजार मात्र)
10	025	2056008000300 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
11	025	2056008000300 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
12	025	2056008000300 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--	13 टेलीफोन पर व्यय	36,000 (रुपये छत्तीस हजार मात्र)
13	025	2056008000300 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
14	025	2056008000300 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र)
15	025	2056008000300 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--	29 अनुरक्षण	15,00,000 (रुपये पंद्रह लाख मात्र)
16	025	2056008000300 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--	42 अन्य व्यय	8,00,000 (रुपये आठ लाख मात्र)
17	025	2056008000300 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

18	025	2056008000300 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--	45 अवकाश यात्रा व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
19	025	2056008000300 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
20	025	2056008000300 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	40,000 (रुपये चालीस हजार मात्र)
21	025	2056008000300 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--	49 चिकित्सा व्यय	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
22	025	2056008000300 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--	51 वर्दी व्यय	20,000 (रुपये बीस हजार मात्र)
23	025	2056008000300 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--	55 मकान किराया भत्ता	15,00,000 (रुपये पंद्रह लाख मात्र)
24	025	2056008000300 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
	कुल			**5,23,46,000 (रुपये पांच करोड़ तेईस लाख छियालीस हजार मात्र)**
महायोग		12,98,49,71,000 (रुपये बारह अरब अट्ठानबे करोड़ उनचास लाख इकहत्तर हजार मात्र)		

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-48/2023/ 228(1)/001-100-ब-2021टीसी, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।

(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज ।

(3) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 12/वित (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(6) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।